148

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1177-दो/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-3-2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 130/1996-97 अपील

1- हनुमंत प्रसाद 2- गंगादीन
पुत्रगण पवई बारी ग्राम नईगढ़ी
तहसील मउगंज जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

शॅकरप्रसाद पुत्र पवई बारी
ग्राम नईगढ़ी तहसील मउगंज जिला रीव ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री विकास द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अमित मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 25-07-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 130/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-02 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने नायब तहसीलदार नईगढ़ी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अनावेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 215/2 रकबा 0.10 ए. (आगे जिसे वादोक्त भूमि अंकित किया गया है) पर कब्जा होना बताते हुये कब्जा दर्ज करने की मांग की । नायब तहसीलदार नईगढ़ी ने प्रकरण कमांक 48 अ-6-अ/ 1994-95 पंजीबद्ध किया तथा जॉच उपरांत आदेश दिनांक 12-1-1996 पारित करके आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी

मउगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने प्रकरण कमांक 202 अ-6-अ/95-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-12-1996 से अपील स्वीकार कर वादोक्त भूमि पर आवेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। अनावेदक ने इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 130/96-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-2002 से अनुविभागीय अधिकारी मउगंज का आदेश निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार नईगढ़ी के आदेश दिनांक 12-1-1996 को स्थिर रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि आवेदकगण एंव अनावेदक सगे भाई हैं । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30-3-02 में की गई विवेचना अनुसार स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि के रूप में नहीं है अपितु मौके पर दुकानें बनी हुई हैं तथा शासकीय अभिलेख में आबादी दर्ज है। इन्हीं दुकानों में से किसी दुकान के आवेदकगण लायसेंसी (किरायेदार) मात्र हैं एंव नायव तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 115 के अंतर्गत आवेदन देने के पूर्व के वर्षो में आवेदकगण का खसरे में कभी भी कब्जा दर्ज नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आबादी भूमि में स्थित निर्मित क्षेत्र पर संहिता की धारा 115 के अधीन कब्जा दर्ज नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि अनावेदक को बटवारे में प्राप्त है ।

(1) भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 115, 116 सहपठित 168 - कृषि से भिन्न प्रयोजन की भूमि - भूमिस्वामी द्वारा कृषि से भिन्न

प्रयोजनों के लिये धारित भूमि पट्टे पर दी जा सकेगी - धारा 115, 116 सहपठित 168 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे (श्रीमती मुक्ताबाई विरूद्ध तनुभाई 1994 रा0नि0 330 उच्च न्यायालय से अनुसरित)

(2) भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 115, 116 - तहसीलदार द्वारा नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती - राजस्व अभिलेख में कोई त्रुटि युक्त प्रविष्टि पूर्व से ही होने पर इन धाराओं में उसे सही किया जा सकता है।

नायब तहसीलदार नईगढ़ी द्वारा प्रकरण कमांक 48 अ-6-अ/ 1994-95 में पारित विधिवत् आदेश दिनांक 12-1-1996 को अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने आदेश दिनांक 28-12-1996 से निरस्त करते हुये अपील स्वीकार करने एंव वादोक्त भूमि पर आवेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश देने में त्रुटि की गई है जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 130/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-02 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 130/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-02 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर